

847-6

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.6990 hectare of forest land in favour of HPSEB for construction of 33/11KV, 2X6.3MVA Sub Station at Tara Devi, within the jurisdiction of Shimla, Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB456/2012 - CHA दिनांक 16-07-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा 0.6990 hectare of forest land in favour of HPSEB for construction of 33/11KV, 2X6.3MVA Sub Station at Tara Devi, within the jurisdiction of Shimla, Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार चार सौ पैंसठ वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-47 Jajhar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 6,00,495/- (छ: लाख चार सौ पितानवे मात्र) की राशि से कुल 1.50 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
- 5 सीमेंट कंक्रीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 6 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 7 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटया जायेगा।

S/FCA

APCCF (FCA)

APCCF

29/7

2037
31/7/13

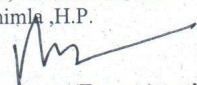
आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the 29-7-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt, Shimla, Himachal Pradesh .
6. Sr.Executive Engineer, Shimla Electrical division No. II, HPSEB Ltd, shimla-9 HP.
7. CCF, Shimla /DFO, Shimla, Forest Division & Distt. Shimla ,H.P.
8. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.